

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5339

(28.03.2018 को उत्तर देने के लिए)

पेंशन के लिए ऑन लाइन ट्रैकिंग प्रणाली

5339. श्री पी.सी. मोहन:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास ऑन लाइन पेंशन अनुमोदन और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली संबंधी कोई प्रस्ताव हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और योजना के अंतर्गत कौन से विभाग शामिल किए गए हैं;
(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन भुगतान का पुनरुद्धार किया जाएगा और मौजूदा पेंशनधारकों के लिए उनका डेटा बेस अद्यतन किया जाएगा;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार को सभी श्रेणियों में पेंशनधारकों की मृत्यु के पश्चात् भी पेंशन के भुगतान की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और
(च) यदि हां, तो संदर्भ राशि का व्यौरा क्या है और अधिक पेंशन भुगतान की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय एवं प्रधानमंत्री कार्यालय
(डॉ जितेंद्र सिंह)

(क) और (ख): जी हाँ महोदय। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय सरकार के सिविल कर्मचारी के लिए 'भविष्य' नामक एक ऑनलाइन प्रणाली लागू की है। यह प्रणाली पेंशन मंजूरी और भुगतान प्रक्रिया की ऑन-लाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करती है। पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने की तैयारी संबंधी सभी कार्यां पर एक व्यक्ति और साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी नजर रख सकते हैं। सिस्टम और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए यह सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप है।

वर्तमान समय में, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, डाक विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, दूरसंचार विभाग और कुछ सुरक्षा संबंधी संवेदनशील संगठनों को छोड़कर 89 मंत्रालयों/ विभागों के मुख्य सचिवालय में भविष्य का कार्यान्वन किया गया है।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन के भुगतान में पुनरुद्धार करने का कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मौजूदा पेंशनभोगियों के लिए डेटा बेस को एक वर्ष में एक बार पेंशन का भुगतान करने वाले अधिकृत बैंकों द्वारा केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) के साथ मास्टर आंकड़ा मिलान के द्वारा और समय-समय पर केन्द्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्रों (सीपीपीसी) के लिए सीपीएओ द्वारा जारी विशेष सील प्राधिकरण (एसएसए) के आधार पर अद्यतन कर लिया जाता है।

(ड) और (च) जी हाँ महोदया । प्राधिकृत बैंक, पेंशन का भुगतान करने के बाद सीपीएओ को ई-स्क्रोल्स के माध्यम से पेंशन के भुगतान की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं । केन्द्रीय सिविल पेंशनभोगियों/ कुटुंब पेंशनभोगियों द्वारा हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है और यदि पेंशनभोगी आने वाले नवंबर अर्थात् जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अगली नियत तारीख से पहले ही मर जाता है तो उस दौरान पेंशन का अतिरिक्त भुगतान हो सकता है । यदि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेंशनभोगी को पेंशन का अतिरिक्त/ गलत भुगतान किया जाता है तो इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, पेंशनभोगियों/ कुटुंब पेंशनभोगियों से बैंकों द्वारा पूरी रकम वसूल की जाती है । वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, केन्द्रीय सिविल पेंशनभोगियों/ कुटुंब पेंशनभोगियों के संबंध में केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा प्राधिकृत बैंकों से लगभग 73 करोड़ रुपये प्राप्त/ वसूल किए गए थे ।